रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278148
CG-DL-E-24112026-278148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6109] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2026/अग्रहायण 2, 1948
No. 6109] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2026/AGRAHAYANA 2, 1948

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2026

का.आ. 6349(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात उक्त अधिनियम से सन्दर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट'- क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि ट्रस्ट' (पैन: AADTR1130P) को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा :-

(क) सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) एयरलाइंस से प्राप्त लेवी;

(ग) एयरलाइंस द्वारा दायित्वों की पूर्ति न करने के कारण बैंक गारंटी की ज़ब्ती; और

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि ट्रस्ट' (पैन: AADTR1130P):-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधानों के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा; और

(ग) की विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियाँ और प्रकृति कर वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।

3. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन न करने पर धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27, 2027-28, 2028-29 और 2029-30 के लिए मानी जाएगी।

[अधिसूचना संख्या 152 / 2026 फा.संख्या 300196/10/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2026

S.O. 6349(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Regional Air Connectivity Fund Trust' (PAN : AADTR1130P), a Trust constituted by Central Government, in respect of the following specified income arising to the said trust namely:-

(a) grant from Government;

(b) receipt of Levy from Airlines;

(c) forfeiture of Bank guarantee due to non-fulfillment of obligation by Airlines; and

(d) interest income earned on (a) to (c) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Regional Air Connectivity Fund Trust (PAN : AADTR1130P)'-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) shall file return of income in accordance with the provision of section 263(9)(c)(xiii) of the said Act; and.

(c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for the tax years 2026-27, 2027-28, 2028-29 and 2029-30.

[Notification No. 152 /2026 F. No. 300196/10/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.24 09:54:21 +05'30'